D: R.K.Sonwal Folder General Election Leave 2017.Doc

<u>चुनाव अत्यावश्यक</u>

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः–प.13(2)साप्र/2/2013पार्ट जयपुर, दिनांकः 21.12.2018

– : आदेश :–

राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी घोषणा के तहत राज्य में जिला परिषद/पंचायती समिति सदस्यों के रिक्त स्थानों (संलग्न सूची अनुसार) के उपचुनाव से संबंधित प्राप्त पत्र मूल ही संलग्न कर भिजवाया जा रहा है। उपचुनाव दिनांक **28.12.2018 (शुक्रवार)** को होने के कारण आदर्श आचार संहिता भाग–7 की पालना सुनिश्चित करने का श्रम करेंः–

1. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव समाप्ति तक शासकीय दौरे पर नहीं जायेगें। केवल ऐसी स्थिति में जहां कानून व्यवस्था बिगड़ जाने पर या किसी आपात स्थिति के कारण संबंधित विभाग के माननीय मंत्री की उपस्थिति आवश्यक है, वहां उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा लेकिन इसकी सूचना विभाग के शासन सचिव द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जावेगी।
2. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहे तो सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं करें और यदि निजी वाहन का प्रयोग करते है तो उस पर सायरन आदि का प्रयोग नहीं करें।
3. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहे तो चुनाव से संबंधित अधिकारियों को नहीं बुलाऐं।
4. माननीय मंत्रीगण जब चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में रहें वहां स्थित विश्राम गृह, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों का या इससे संलग्न परिसरों का उपयोग प्रचार कार्यालय के रूप में या चुनाव से संबंधित कोई बैठक करने के लिए नहीं करें।
5. सरकारी विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों को निष्पक्ष तरीके से अन्य दलों या अभ्यर्थियों को भी उपयोग करने की अनुमति दी जायेगी, लेकिन वे भी उनका चुनाव से संबंधित कार्य में इस्तेमाल नहीं करेंगे।
6. सम्बन्धित अधिकारी, माननीय मंत्रीगण के दौरे के समय उनके किसी स्वागत में या प्रोटोकॉल में नहीं जायेगें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

21/12/18
(डॉ.पी.डी.पारीक)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
4. प्रमुख सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिवगण, राजस्थान जयपुर।
8. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
9. मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर को उनके पत्र दिनांक 17.12.2018 के क्रम में।
10. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव गण।
11. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि चुनाव विभाग से प्राप्त निर्देशो की पालना को सुनिश्चित करावें।
12. समस्त संभागीय आयुक्त।
13. समस्त जिला कलक्टर्स (जिला निर्वाचन अधिकारी)।
14. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच, जयपुर।
15. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
16. आयुक्त, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
17. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
18. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि चुनाव विभाग से प्राप्त निर्देशों की पालना को सुनिश्चित करावें।
19. समस्त विभागाध्यक्ष राजस्थान/समस्त निगम/मण्डल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक।
20. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–1, 3, 4, 5, 6) विभाग/सम्पदा विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
21. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
22. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन(ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय,जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
23. रक्षित पत्रावली।

21/12/18
उप शासन सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः एफ.7(2)(10)पंचा / रानिआ / 2018 / 3864 दिनांक 17/12/18

सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
प्राप्ति संख्या 3649
दिनांक : 19/12/18

प्रमुख शासन सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

JS(MG/AO)

विषयः– जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के उप चुनाव के स्थगित मतदान की नवीन तिथि की घोषणा – आदर्श आचरण संहिता की पालना बाबत्।

महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए स्थगित किए गए उप चुनाव के लिए मतदान एवं मतगणना हेतु नवीन तिथि की घोषणा की जा चुकी है। नवीन कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन हेतु मतदान दिनांक 28.12.2018 को एवं मतगणना कार्य दिनांक 30.12.2018 को होगा। नवीन तिथि की घोषणा के साथ ही समस्त संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावी हो जाएगी जो कि उप चुनाव प्रकिया समाप्ति तक जारी रहेगी।

जिन स्थानों पर उप चुनाव हेतु मतदान होना है उनकी सूची निम्नानुसार हैः–

क्रमांक	जिले का नाम	जिला परिषद सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र संख्याक	पंचायत समिति में	
			पंचायत समिति का नाम	पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र संख्याक
1.	अलवर	12	–	–
2.	भीलवाड़ा	–	माण्डलगढ़	6
3.	चूरू	–	बीदासर	9
4.	दौसा	–	लवाण	5
5.	धौलपुर	–	बाड़ी	9
6.		–	बाड़ी	13
7.		–	बाड़ी	18
8.	कोटा	–	लाड़पुरा	14
9.	नागौर	–	मेडता	2
10.	पाली	–	जैतारण	4
11.	सीकर	–	पिपराली	19

अतः आदर्श आचरण संहिता के भाग–7 की पालना सुनिश्चित करवायी जावे। आदर्श आचरण संहिता की पालना हेतु निम्नांकित बिन्दुओं पर भी राजकीय आदेश प्रसारित करना वांछनीय है :–

1. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव समाप्ति तक शासकीय दौरे पर नहीं जायेंगे। केवल ऐसी स्थिति में जहां कानून व्यवस्था बिगड़ जाने पर या किसी आपात स्थिति के कारण संबंधित विभाग के माननीय मंत्री की उपस्थिति आवश्यक है, वहां उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा लेकिन इसकी सूचना विभाग के शासन सचिव द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जावेगी।
2. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहें तो सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं करें और यदि निजी वाहन का प्रयोग करते हैं तो उस पर सायरन आदि का प्रयोग नहीं करें।
3. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहें तो चुनाव से संबन्धित अधिकारियों को नहीं बुलाऐं।
4. माननीय मंत्री गण जब चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में रहें वहां स्थित विश्राम गृह, डाक बंगलो या अन्य सरकारी आवासों का या इससे संलग्न परिसरों का उपयोग प्रचार कार्यालय के रूप में या चुनाव से संबंधित कोई बैठक करने के लिए नहीं करें।
5. सरकारी विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों को निष्पक्ष तरीके से अन्य दलों या अभ्यर्थियों को भी उपयोग करने की अनुमति दी जावेगी, लेकिन वे भी उनका चुनाव से संबंधित कार्य में इस्तेमाल नहीं करेंगे।
6. संबंधित अधिकारी, माननीय मंत्रीगण के दौरे के समय उनके किसी स्वागत में या प्रोटोकॉल में नहीं जायेंगे।

उपरोक्तानुसार निर्देश प्रसारित कर आयोग को भी अवगत करावें।

भवदीय,

(चन्द्रशेखर मूथा) 17-12-18

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

एवं सचिव

क्रमांकः एफ.7(2)(10)पंचा/रानिआ/2018/ 3865 दिनांक 17/12/18

प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) अलवर, भीलवाडा, चूरू, दौसा, धौलपुर, कोटा, नागौर, पाली एवं सीकर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

17-12-2018

(सुनील दत्तात्रेय)

सहायक सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान